(69)

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

दिनांक 12.05.2014 को मध्यान्ह 4.15 बजें मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 12.05.2014 को मध्यान्ह 4.15 बजें मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन मुख्य सचिव महोदय के कक्ष में किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित रहे :–

1. श्री सी.एस.राजन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (इन्फ्रास्ट्रक्चर)
2. श्री सुनील अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. श्री पी.एस. मेहरा, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
4. श्री कुन्जीलाल मीणा, शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग।
5. श्री एस.सी. दिनकर, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त विभाग।

बैठक में शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग ने एजेण्डा बिन्दुओं की जानकारी दी। बैठक में विचार विमर्श के पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिए गये :–

1. राज्य के अभावग्रस्त जिलों में खरीफ में बांसवाड़ा, बाड़मेर, बारां, बीकानेर, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड, जोधपुर, कोटा, पाली, सिरोही, एवं प्रतापगढ़ कुल 12 जिलों के कुल गांवों में से अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक होने के कारण सम्पूर्ण जिले में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत पेयजल व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. अजमेर, अलवर, बून्दी, चूरू एवं नागौर कुल 05 जिलों में घोषित अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से कम होने के कारण केवल अभावग्रस्त ग्रामों में ही पेयजल परिवहन व्यय राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से करने बाबत तथा शेष क्षेत्र के लिये पेयजल व्यवस्था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

(61)

3. विभागीय दिशा–निर्देश दिनांक 13.02.2014 की पालना में जिला कलक्टरों द्वारा 30 दिन के लिए पेयजल परिवहन की व्यवस्था किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया तथा अभावग्रस्त जिलों में आवश्यकता/मांग अनुसार 30 दिन से अधिक अर्थात अधिकतम 90 दिवस या मानसून आने तक, जो भी पहले हो तक की अवधी राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के प्रावधानों के तहत बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।
4. राज्य कार्यकारी समिति (SEC) द्वारा अभाव संवत 2066 की भांति अभाव संवत् 2070 में भी अभावग्रस्त जिलों में अभावग्रस्त एवं गैर–अभावग्रस्त क्षैत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय का अनुमोदन राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकररण की आगामी बैठक में लिया जायेगा।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

13/5/14
शासन सचिव

पत्रांकःएफ.1(1)(5) आ.प्र.एवं सआ/सामान्य/III/2007/ 3802-09 जयपुर, दिनांक 13.5.14

1. निजी सचिव एवं उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
6. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव